ANKIT
Page No. ______
Date ______

R.M.M. Law College Saharsa
Nareshji Anand
LL.B. Part Ist
Paper IInd
Constitutional Law

अस्पृश्यता का अंत (अनुच्छेद 17)

अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसका किसी भी रूप में पालन करने का निषेध करता है। यह अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करने को दण्डनीय अपराध घोषित करता है। इस प्रकार संविधान भारतीय समाज के परंपरा से चले आ रहे इस महान कलंक को समाप्त करने की ही घोषणा नहीं करता वरन् भविष्य में इसके किसी भी रूप में पालन करने को भी मना करता है।

अनुच्छेद 17 और 35 के अधीन अपने शक्ति के प्रयोग में संसद ने 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया था। यह अधिनियम अस्पृश्यता के अपराध के लिए दण्ड की व्यवस्था करता है। इसके अनुसार अस्पृश्यता के अपराध के लिए अधिकतम 500 रु० जुर्माना 6 माह की सजा या दोनों साथ-साथ दी जा सकती है। 1955 के अस्पृश्यता अधिनियम को अस्पृश्यता संशोधित अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित करके अस्पृश्यता के पालन करने के लिए विहित दण्ड को और भी कठोर बना दिया गया है। इसके

नाम को बदलकर प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स ऐक्ट 1955 कर दिया गया है। इसके अधीन लोक सेवक का यह कर्तव्य होगा कि उक्त अपराधों की जाँच करे। यदि कोई लोक सेवक उक्त अधिनियम के अधीन किये गये अपराधों की जाँच करने में जानबूझकर उपेक्षा करता है तो यह माना जायेगा कि वह ऐसे अपराधों को उत्प्रेरित करता है।

न तो अनुच्छेद 17 और न अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में 'अस्पृश्यता' की कोई परिभाषा दी गयी है। किन्तु मैसूर उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में इसके अर्थ को स्पष्ट किया है। न्यायालय ने कहा है कि इस शब्द का शाब्दिक अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। शाब्दिक अर्थ में व्यक्तियों को कई कारणों से अस्पृश्य माना जा सकता है; जन्म, रोग, मृत्यु एवं अन्य कारणों से उत्पन्न अस्पृश्यता। इसका अर्थ उन सामाजिक कुरीतियों से समझना चाहिए जो भारत वर्ष में जाति-प्रथा के संदर्भ में परंपरा से विकसित हुई है। अनुच्छेद 17 इसी सामाजिक बुराई का निवारण करती है, जो जाति-प्रथा की देन है न कि शाब्दिक अस्पृश्यता का; पीपुल्स युनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अनुच्छेद 17 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध नहीं वरन् प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है और यह राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह इन अधिकारों अतिलंघन रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ।

ANKIT
Page No.
Date

उपाधियों का अंत (अनुच्छेद 18)

अनुच्छेद 18 राज्य के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह देश का नागरिक हो या विदेशी, को उपाधियाँ प्रदान करने से मना करता है। इस प्रकार यह अनुच्छेद भारत में ब्रिटिश शासन-काल में प्रचलित सामंत-शाही परंपरा का अंत करता है; किन्तु अनुच्छेद 18 सेवा या विद्या सम्बन्धी उपाधियों को प्रदान करने की अनुमति देता है, क्योंकि उनसे व्यक्तियों में देश की सैनिक शक्ति को मजबूत करने तथा देश की प्रगति के लिए आवश्यक वैज्ञानिक विकास करने का प्रोत्साहन मिलता है।

इस अनुच्छेद का खण्ड (2) भारत के किसी नागरिक को किसी विदेशी सरकार से कोई उपाधि स्वीकार करने से मना करता है। खण्ड (3) के अनुसार कोई विदेशी व्यक्ति जो राज्य के आधीन किसी विश्वसनीय पद पर है बिना राष्ट्रपति की सहमति के किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। वह राज्य प्रशासन को सम्बन्धित मामलों पर से सभी प्रकार के विदेशी प्रभाव को समाप्त करता है और व्यक्ति में भारत के प्रति निष्ठा की भावना का सृजन करता है।

खण्ड (4) यह उपलब्धित करता है कि कोई भी व्यक्ति — चाहे वह नागरिक है या विदेशी जो राज्य के आधीन किसी विश्वसनीय पद पर है किसी विदेशी राज्य से बिना राष्ट्रपति की

Scanned with CamScanner

यद्यपि वे कोई उपहार, उपाधि, वृत्ति अथवा पद स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

भारत सरकार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र-दिवस पर अपने नागरिकों को 'भारतरत्न' 'पद्मविभूषण', 'पद्मश्री' आदि उपाधियों से विभूषित करती है। उपाधियाँ उन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान की जाती हैं।

अनुच्छेद 18 की उपबन्धों की अवहेलना करने वालों के लिए संविधान में किसी दण्ड व्यवस्था की उपबन्ध नहीं है। यह अनुच्छेद केवल निदेशात्मक है आदेशात्मक नहीं। किंतु संसद को कानून बनाकर इन उपबंधों की अवहेलना करने वालों के लिए दण्ड की व्यवस्था करने की पूरी शक्ति प्राप्त है। परंतु अभी तक इस प्रकार की कोई विधि पारित नहीं किया है।